न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **श्री आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5129-दो/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-07-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 444/निग./10-11.

रामाश्रय तनय जगतदेव
निवासी- ग्राम चचाई (कुइया) तह0 सेमरिया
जिला रीवा, म0प्र0

..... आवेदक

बनाम

रामसुन्दर प्रसाद तनय गंगा प्रसाद ब्रा.
निवासी- ग्राम चचाई, तहसील सेमरिया
जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदक

श्री सत्यदेव सिंह अधिवक्ता, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 08/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 21-07-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 12/अ-70/08-09 में पारित आदेश दिनांक 12-03-10 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के अन्तर्गत अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिरमौर जिला रीवा के समक्ष पेश की गई।

अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 25-02-11 को आदेश पारित कर प्रस्तुत अपील खारिज की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 444/निग./10-11 दर्ज कर दिनांक 21-07-2015 को खारिज की गई अपर आयुक्त इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर किये जाने के निर्देश दिये हैं। प्रकरण में पूर्ण अभिलेख प्राप्त नहीं है। प्राप्त अभिलेख के अधार पर प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण किया जा रहा है।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने तहसीलदार सेमरिया के समक्ष एक आवेदन खसरा क्रमांक 1628 रकवा 1.48 एकड के अंश भाग पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से बेदखल कर कब्जा वापसी हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा आवेदक को सूचना जारी की गई जिसके पश्चात आवेदक तहसील न्यायालय में दिनांक 11-8-06 को अपने अभिभाषक सहित उपस्थित हुआ। दिनांक 12-1-09 को आवेदक द्वारा जबाव पेश किया गया। अन्य तहसील में प्रकरण अंतरित किये जाने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई जहां आवेदक को तहसील न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी िकया गया जिसपर आवेदक के हस्ताक्षर हैं। सूचना के उपरांत तहसील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई और दिनांक 12-3-2010 को बेदखली का आदेश पारित किया गया। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि आवेदक को तहसील न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। जानकारी के वापजूद भी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयबाधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25-2-2011 से निरस्त किया। आवेदक विलम्ब के संबंध में अपीलीय न्यायालय सहित इस न्यायालय में कोई ठोस समाधानकारक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को समयबाधित मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी विस्तार से

विवेचनाक्र कर उचित पाया है। इस निगरानी में ऐसा कोई आधार प्रकट नहीं होता है कि जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशो में हस्तक्षेप किया जा सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 21-7-2015 यथावत रखा जाता है ।

08/01/19.

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर